

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक : संख्या प. 23 (2)चिस्वा/ग्रुप-3/2003/पार्ट/

जयपुर, दिनांक : 22 SEP 2015

—आज्ञा—

इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा क्रमांक एफ 23(2)चिस्वा/ग्रुप-3/2003/पार्ट /जयपुर दिनांक 14.06.2011 द्वारा गर्भधारण-पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (पीसीपीएनडीटी एक्ट, 1994) की धारा 21 की उपधारा (ii) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाने वाली अपील की सुनवाई कर निर्णित करने हेतु राज्य सरकार की ओर से शासन प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को अपीलीय अधिकारी प्राधिकृत किया है।

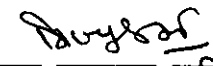
डी.बी. सिविल रिट पिटिशन (PIL) 3270/2012 एस.के. गुप्ता बनाम भारत संघ व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.04.2015 के द्वारा उक्त प्रस्तुत अपीलों का निस्तारण यथासंभव छः माह में करने के आदेश दिये हैं। अतः निर्देशों की पालना में उक्त प्रस्तुत अपीलों का निस्तारण यथासंभव छः माह में की जाने की व्यवस्था की जाती है।

आज्ञा से,


(नीतू बरूपाल)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, चिकित्सा मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, शासन प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
4. अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी एवं विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक (परिवार कल्याण), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।


शासन सहायक सचिव